छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 636/2007

याचिकाकर्ता - **संतु राम मरकाम,** आयु लगभग 25 वर्ष, पिता – बुधनाथ मरकाम, वर्तमान में सचिव, ग्राम पंचायत पल्ली के रूप में कार्यरत, निवासी – ग्राम पल्ली, विकासखंड कोंडागांव, जिला – बस्तर (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादीगण - **1. सरपंच, ग्राम पंचायत पल्ली,** विकासखंड – कोंडागांव, जिला – बस्तर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, विकासखंड – कोंडागांव, जिला – बस्तर (छ.ग.)

3. तंसुख राम नेताम, पिता – जांगलू राम नेताम, निवासी – ग्राम पल्ली, तहसील – कोंडागांव, जिला – बस्तर (छ.ग.)

4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोंडागांव, जिला – बस्तर (छ.ग.)

5. अपर कलेक्टर, नारायणपुर, जिला – बस्तर (छ.ग.)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 एवं 227 के अंतर्गत उपयुक्त रिट, जैसे परमादेश एवं उत्प्रेषण तथा अन्य उपयुक्त रिट/निर्देश जारी किए जाने हेतु याचिका।

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 636/2007

याचिकाकर्ता - संतु राम मरकाम,

बनाम

उत्तरवादीगण - सरपंच, ग्राम पंचायत एवं अन्य

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

.....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

श्री विष्णु कोष्टा, अधिवक्ता — याचिकाकर्ता की ओर से।

उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

उत्तरवादी क्रमांक 4 एवं 5 की ओर से श्री अरविंद दुबे, पैनल अधिवक्ता ।

.....

आदेश

(दिनांक 02 फरवरी, 2007 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री द्वारा पारित किया गया :–

1. इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोंडागांव, जिला-बस्तर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.05.2005 (अनुलग्नक पी.-4) तथा अपर कलेक्टर,

नारायणपुर, जिला-बस्तर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.2006 (अनुलग्नक पी.-7) को चुनौती दी है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उत्तरवादी क्रमांक 3 को ग्राम पंचायत की सामान्य सभा द्वारा दिनांक 14.07.2004 को आयोजित बैठक में पंचायत सचिव के पद से पदच्युत (हटाया) कर दिया गया। उत्तरवादी क्रमांक 3 को पद से हटाने का आदेश ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया, जिसे ग्राम सभा द्वारा दिनांक 20.07.2004 (अनुलग्नक पी.-1) को आयोजित बैठक में अनुमोदित (स्वीकृत) किया गया । उक्त के स्थान पर, याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत पल्ली का सचिव नियुक्त किया गया, जिसे ग्राम सभा द्वारा दिनांक 07.09.2004 (अनुलग्नक पी.-2) को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया।

3. इससे व्यथित होकर, उत्तरवादी क्रमांक 3 ने मध्य प्रदेश पंचायत अपील और पुनरीक्षण नियम, 1995 (संक्षेप में "नियम, 1995") के नियम 3 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोंडागांव, जिला-बस्तर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोंडागांव, जिला-बस्तर ने प्रकरण के समस्त पहलुओं पर विचार एवं सुनवाई करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि दिनांक 20.07.2004 को आयोजित ग्राम सभा की बैठक विधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी, अतः उत्तरवादी क्रमांक 3 को सचिव पद से हटाने का आदेश असंवैधानिक एवं अमान्य है। फलस्वरूप, दिनांक 02.05.2005 (अनुलग्नक पी.-4) के आदेश द्वारा अपील स्वीकृत करते हुए उत्तरवादी क्रमांक 3 को ग्राम पंचायत पल्ली, तहसील–कोंडागांव, जिला–बस्तर के सचिव पद पर पुनःस्थापित करने का निर्देश दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उक्त आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश पंचायत अपील और पुनरीक्षण नियम, 1995 के नियम 3(क) के अंतर्गत अपर कलेक्टर, नारायणपुर, जिला-बस्तर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता ने उक्त अपील के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2005 के स्थगन हेतु भी एक आवेदन प्रस्तुत किया।

(5) उक्त आदेश दिनांक 02.05.2005, जो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोंडागांव, जिला-बस्तर द्वारा पारित किया गया था, के अनुपालन में कार्यवाही की गई। अपील लंबित रहने के दौरान, दिनांक 28.09.2005 (अनुलग्नक पी.-6) के आदेश द्वारा उक्त आदेश पर स्थगन प्रदान किया गया। तत्पश्चात्, उक्त अंतरिम आदेश दिनांक 28.09.2005 को दिनांक 22.12.2006 (अनुलग्नक पी.-7) द्वारा निरस्त कर दिया गया, जो कि वर्तमान याचिका में चुनौती का विषय है। यह अभिलिखित किया गया कि उत्तरवादी क्रमांक 3 को पद से हटाना विधि के अनुरूप नहीं था तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया था। अतः, उत्तरवादी क्रमांक 3 पंचायत सचिव के पद पर पुनःस्थापित होने का अधिकारी हो गया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 02.05.2005 (अनुलग्नक पी.-4) एवं दिनांक 22.12.2006 (अनुलग्नक पी.-7) के आदेशों को चुनौती देते हुए यह याचिका प्रस्तुत की है। याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि एक बार ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा द्वारा पंचायत सचिव के पद पर उसकी नियुक्ति अनुमोदित हो जाने के पश्चात्, वह आदेश अंतिम (final) हो जाता है तथा उसके विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 26.11.2002 के परिपत्र (अनुलग्नक पी.-3) पर निर्भरता व्यक्त की, जिसमें यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत के उस निर्णय के विरुद्ध, जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया हो, अपील अथवा पुनरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, उक्त परिपत्र स्वयं मध्य प्रदेश पंचायत अपील और पुनरीक्षण नियम, 1995 के प्रावधानों के प्रतिकूल है, जिनमें स्पष्ट रूप से यह उपबंधित है कि ग्राम पंचायत के निर्णय के विरुद्ध अपील अथवा पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, पंचायत कर्मियों की पदच्युति मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के नियम 7 द्वारा नियंत्रित होती है, जो प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। किसी परिपत्र के माध्यम से उक्त अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। नियम 7 के अंतर्गत, ऐसे कर्मचारी को, जिसे विधि की समुचित प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना सेवा से पृथक किया गया हो, मूल अधिकार प्रदान किया गया है। याचिकाकर्ता की नियुक्ति उस समय

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

की गई थी जब उत्तरवादी क्रमांक 3 की पदच्युति के संबंध में विवाद उच्च प्राधिकारियों के समक्ष विचाराधीन था। यह विधि द्वारा सुव्यवस्थित है कि विचाराधीन स्थिति में की गई कोई भी नियुक्ति, सक्षम प्राधिकारी/अधिकरण के अंतिम निर्णय के अधीन होती है।

(6) याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील अभी भी अपर कलेक्टर के समक्ष विचाराधीन है। याचिकाकर्ता ने अपर कलेक्टर द्वारा पारित अंतरिम आदेश को चुनौती दी है। वर्तमान चरण में, इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। अपर कलेक्टर, नारायणपुर, जिला-बस्तर द्वारा पारित आदेश में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता।

7. अतः, यह रिट याचिका संक्षेप में खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**